कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–317 / सीईओ–4–45 / 4–2014 लखनऊः दिनांकः 24 जनवरी, 2017

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 में मतदान प्रकिया लाइव वेबकास्टिंग हेतु मतदेय स्थलों के चयन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–3597 / सीईओ–4–45 / 4–2014, दिनांक–29.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आयोग के निर्देशों के कम में वेबकास्टिंग हेतु मतदेय स्थलों की सूचना पत्र में नियम प्रारूप पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

2– उक्त कम में मुझे यह कहना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के संज्ञान में यह जानकारी आई है कि निर्वाचनों हेतु अभी तक पुलिस बलों की डिप्लायमेंट की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है। अतः जनपदों द्वारा वेबकास्टिंग हेतु उपलब्ध कराये गये मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचनों में मतदान प्रकिया की मानीटरिंग का कार्य विभिन्न तरीकों यथा वेबकास्टिंग, सीपीएमएफ बलों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरा, माइको आब्जरवर आदि माध्यमों से सुनिश्चित किया जाता है। अतः ऐसे मतदेय स्थलों जिन पर सीपीएमएफ बलों एवं अन्य संसाधनों से मानीटरिंग सम्भव नहीं हो पाती है उन मतदेय स्थलों का चयन वेबकास्टिंग हेतु किया जाना उपादेय होगा। वेबकास्टिंग के चयन के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

1. चयनित मतदेय स्थलों पर डेटा कनेक्टिविटी की सुविधा हो।
2. विद्युत आपूर्ति की सुविधा सुनिश्चित हो जिससे बैटरी चार्ज करने में असुविधा न हो।
3. चयनित मतदेय स्थलों(प्रारूप–1) की संख्या के सापेक्ष 120 प्रतिशत मैनपावर चिन्हित कर लिये जायें।
4. वेबकास्टिंग को देखने हेतु जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम के स्थान को चिन्हित कर लिया जाये एवं आवश्यक संसाधन यथा कम्प्यूटर, इन्टरनेट कनेक्टीविटी की व्यवस्था सुनिश्चत कर ली जाये।
5. वेबकास्टिंग हेतु चयनित संस्था के प्रतिनिधियों एवं वेबकास्टिंग हेतु चिन्हित तकनीकी कार्मिकों को मतदेय स्थलों पर आने जाने हेतु पास / प्राधिकार पत्र सक्षम स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ताकि इन कार्मिकों को मतदान के समय कोई असुविधा न हो।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर चयनित मतदेय स्थलों पर मतदान प्रकिया की लाइव वेबकास्टिंग हो जाने के सम्बन्ध में मतदेय स्थलों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रमाण–पत्र(प्रारूप–2 पर)निक्सी / अनुबन्धित संस्था के साथ–साथ मतदान समाप्ति के 03 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया वेबकास्टिंग हेतु उपरोक्तानुसार मतदेय स्थलों का चयन की पुनरीक्षित सूचना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर जनपद स्तर पर अस्थायी तौर पर पुलिस बल तैनाती की योजना पूर्ण हो जाने के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एसएसपी / एसपी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रत्येक दशा में दिनांक–30.01.2017 तक हार्डकापी एवं साफ्ट कापी (एक्सेल शीट में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र राय)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रारूप-1

वेबकास्टिंग हेतु चयनित मतदेय स्थलों पर विद्युत/इन्टरनेट तथा अन्य सुविधा की जांच

जनपद का नाम

क0 सं0	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	वेबकास्टिंग हेतु चयनित मतदेय स्थलों का कमांक एवं नाम	किन–किन कम्पनियों का 3जी इन्टरनेट उपलब्ध है	सबसे अच्छा 3जी इन्टरनेट किस कम्पनी का है	बिजली जाने पर विद्युत आपूर्ति की क्या व्यवस्था है (जनरेटर, इनवर्टर या यूपीएस	क्या कमरों में 5 पिन के दो विद्युत शाकेट हैं	विद्युत प्रकाश की क्या व्यवस्था है (ट्यूब लाइट बल्ब या सीएफएल)
1	2	3	4	5	6	7	8

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रारूप–2

जिला निर्वाचन अधिकारी वेबकास्टिंग कार्य के संबंध में दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र

जनपद का नामः

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स...द्वारा नीचे तालिका में उल्लिखित मतदेय स्थलों पर दिनांक–....................................को सम्पन्न हुये विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के दौरान मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग संबंधी कार्य मतदान की पूरी अवधि के दौरान कुशलतापूर्वक किया गया है।

क0 सं0	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	वेबकास्टिंग हेतु चयनित मतदेय स्थलों का कमांक एवं नाम	वेबकास्टिंग निर्बाध रूप से सम्पन्न हुई(हॉ/ना)	''ना'' की स्थिति में स्पष्ट कारण अंकित किया जाये।
1	2	3	4	5

दिनांक–

जिला निर्वाचन अधिकारी